दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी §
मंगलवार, 15 अक्तूबर, 1996 / आश्विन 23,, 1918§शक§

सं. 292

लाटरी की बिक्री पर रोक - शासन
द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सदन द्वारा 21.12.1994 को पारित संकल्प के अनुसरण में सरकार ने इस सचिवालय को दिल्ली में लाटरी की बिक्री पर रोक लगाने के सम्बन्ध में अपने द्वारा की गई निम्नलिखित कार्यवाही के बारे में संसूचित किया है :-

1. लाटरी टिकटों की बिक्री पर 20% की दर से बिक्री कर का आरोपण।

2. स्थानीय प्राधिकरणों तथा दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, कैन्टोनमैन्ट बोर्ड को अनुदेश जारी किये गए हैं कि वे सार्वजनिक स्थानों पर लाटरी टिकटों की बिक्री पर रोक लगाना सुनिश्चित करें तथा ऐसे भवनों पर जहाँ लाटरी टिकट बेचे जाते हों, उच्चतर व्यावसायिक दरों पर सम्पत्ति कर लगाएं ।

3. दिल्ली पुलिस ने भी अपराध दण्ड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लाटरी टिकटों की बिक्री पर प्रतिबन्धात्मक आदेश लगाया था, किन्तु इसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया ।

माननीय उपराज्यपाल ने भी भारत सरकार के स्तर पर इस विषय पर विधान बनाने पर विचार करने के लिए इस मामले को उठाया है ।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Tuesday, October 15, 1996/Ashvina 23, 1918 (Saka)

No.292

BAN ON SALE OF LOTTERIES - ACTION TAKEN BY GOVERNMENT - REGARDING

Hon'ble Members are informed that in pursuance of the resolution passed by the House on 21.12.94, the Govt. has communicated to the Secretariat the following action taken by it regarding ban on Sale of Lotteries in Delhi :-

1. Imposition of sales tax @20% on the sale of lotteries tickets.
2. Instructions to the local authorities i.e. MCD, NDMC, Cantonment Board were given to ensure that the sale of lotteries is not allowed at public places and to levy property tax at higher commercial rates for such buildings where the sale of lotteries takes place.
3. The Delhi Police also imposed prohibitory order under section 144 Cr.P.C. to curb the sale of lotteries; but this was set aside by the Hon'ble Delhi High Court.

Hon'ble Lt. Governor has also taken up the matter with Government of India to consider Legislation on the subject.

P.N. GUPTA
SECRETARY